



भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड

ए.सी. 4, गायत्री सदन, गायत्री मार्ग,
सवाई जयसिंह हाइवे, बनीपार्क, जयपुर (राजस्थान)

Website :- <https://bharatiyapashupalan.com/>

Email :- bharatiyapashupalan.com

Phone No. :- 0141-2202271

Helpline No. :- 9351899199

पशु आहार डीलर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

सभी जानकारी आवश्यक रूप से भरें :-

1. आवेदक पुरुष () महिला () अन्य ()

2. आवेदक का नाम :-

3. पिता का नाम :-

4. आवेदक का पूरा पता :-

5. राज्य :- 6. जिला :-

7. तहसील :- 8. पिन कोड :-

9. जन्म दिनांक (DD/MM/YYYY) :-

आवेदन के समय पूर्ण की गई आयु वर्ष

(आवेदक की आयु आवेदन की दिनांक तक न्यूनतम 25 वर्ष होनी अनिवार्य है)

10. मोबाइल नं. (1) मोबाइल नं. (2).....

11. ईमेल आईडी :-@.....

12. शैक्षणिक योग्यता :- आवेदक द्वारा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण (Pass) होना अनिवार्य है।

कक्षा	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्ताक	प्रतिशत
10th				

13. क्या आप कोई संस्था/प्रोपराईटरशिप/दुकान के मालिक है -

हाँ () नहीं ()

यदि हाँ तो

संस्था/प्रोपराईटरशिप/दुकान का नाम :-

संस्था/प्रोपराईटरशिप/दुकान का पंजीकरण की दिनांक :-

संस्था/प्रोपराईटरशिप/दुकान का पता

व्यवसाय का प्रकार :-

दुकान/गोदाम की सार्इज :-(Sq. Ft.)

14. क्या आप पहले से पशु आहार/अन्य फीड सप्लीमेंट से संबंधित डीलर है यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण दें :-

क्र.स.	कम्पनी का नाम (जिसके आप डीलर है)	उत्पाद का नाम	कितने वर्ष से डीलर का कार्य कर रहे है।

15. (i) आवेदन शुल्क रु. 590/- (Non Refundable/वापसी देय नहीं है।)

(आवेदक शुल्क में 18% GST शामिल है।)

(ii) आवेदन शुल्क पेमेंट का माध्यम ऑनलाइन () बैंक चालान () डिमाण्ड ड्राफ्ट ()

(ऑनलाइन पेमेंट की रसीद/बैंक चालान की निगम प्रति/ डिमाण्ड ड्राफ्ट साथ में संलग्न करें।)

(iii) आवेदन शुल्क भुगतान का तरीका (किसी भी एक तरीके से आवेदन शुल्क का भुगतान करें)

➤ आवेदन शुल्क का भुगतान QR Code के माध्यम से करने के लिये Scan करें।



➤ आवेदन पत्र के साथ संलग्न बैंक चालान के माध्यम से जमा करवायें।

➤ डिमाण्ड ड्राफ्ट (DD) Bhartiya Pashupalan Nigam Limited, Jaipur के नाम से बनाये।

16. जिला/तहसील/क्षेत्र जिसके आप डीलर बनना चाहते है, नाम लिखे :-

.....

घोषणा पत्र

मैं उपरोक्त आवेदक घोषणा करता/करती हूँ कि

- (1.) मैंने (आवेदक का नाम).....डीलर (क्षेत्र का नाम).....बनने के लिये भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों (संलग्न) को मेरे द्वारा पढ़ लिया गया है तथा मुझे सभी नियम व शर्तें स्वीकार हैं।
- (2.) मैं चाहे गये मापदण्डानुसार आयु पूर्ण करता/करती हूँ एवं मेरी किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है।
- (3.) उपरोक्त श्रेणी जिस हेतु मैंने आवेदन किया है की आवश्यक जानकारी, नियम एवं शर्तें मेरे द्वारा भलीभांति पढ़ एवं समझ ली गई हैं।
- (4.) उपरोक्त वर्णित मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही व सत्य है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं जानता/जानती हूँ कि आवेदन शुल्क की राशि अप्रतिदेय है।
- (5.) भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड निजी क्षेत्र की कंपनी है।
- (6.) यह मैंने स्वयं की इच्छा से उपरोक्त वर्णित सभी जानकारी स्वीकार एवं हस्ताक्षरित की है। यह मैंने किसी बाहरी दबाव में, जबरदस्ती से या बहकावे में आकर नहीं किया है। समस्त प्रकार के कानूनी विवादों के सम्बन्ध में न्याय क्षेत्र उत्तर, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर (राजस्थान) ही होगा।

दिनांक:

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

स्थान:

दूध धारा पशु आहार

डीलर नियुक्ति हेतु नियम एवं शर्तें व अन्य सामान्य व आवश्यक जानकारी

1. डीलर लाभ :-

(i) दूधधारा पशु आहार एक संतुलित पशु आहार है। यह 50 किलो और 1 क्विंटल के बैग में उपलब्ध है। डीलर को यह पशु आहार पंचायत, तहसील व जिला अनुसार अलग-अलग मार्जिन/कमीशन लाभ में ट्रांसपोर्ट के जरिये उपलब्ध करवाया जायेगा।

अन्य लाभ :-

- (i) डीलर द्वारा 5000 कट्टो का स्टॉक एक साथ उठाने पर मोटर साईकिल फील्ड उपयोग हेतु उपलब्ध कराई जायेगी तथा अन्य छूट लाभ भी दिये जायेंगे।
- (ii) डीलर भारतीय पशुपालन निगम के ई कामर्स पैनल अपना बाजार पर निःशुल्क पंजीयन कर पायेगा। अपना बाजार के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर निगम के उत्पाद ऑनलाइन बेच पायेगा।

2. पशु आहार डीलर नियुक्ति हेतु पात्रता :-

(i) डीलर शैक्षणिक योग्यता

- भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण
- पशु चिकित्सा/पशुपालन में डिग्री/डिप्लोमा एवं अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

(ii) आयु सीमा – न्यूनतम 25 वर्ष

(iii) अलग-अलग स्तर पर डीलरशिप के लिये न्यूनतम कट्टो (पशु आहार) की ऑर्डर संख्या इस प्रकार है :-

पंचायत स्तर पर – 200 कट्टे★

तहसील स्तर पर – 400 कट्टे★

जिला स्तर पर – 800 कट्टे★

★ एक कट्टा 50 किलो ग्राम का होगा। डीलर द्वारा कट्टो का अग्रिम भुगतान करने पर ही निगम द्वारा पशुआहार भेजा जायेगा।

(iv) डीलर के पास ऑर्डर के लिये उचित ऑर्डर राशि व माल के स्टॉक के लिये दुकान/गोदाम होना चाहिए।

अन्य योग्यताएँ :-

- (i) स्वास्थ्य – डीलर मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य होना चाहिए।
- (ii) चरित्र – डीलर का चरित्र अच्छा/उत्तम होना चाहिए किसी भी प्रकार की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिये।

आवेदक के हस्ताक्षर

3. डीलर (वितरक) नियुक्ति हेतु निगम द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन पत्र किया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र का शुल्क 590/- रुपये (नॉन रिफ़ैण्डेबिल) जी.एस.टी सहित होगा जो कि चालान /डी.डी./ऑनलाइन पैमेंट से जमा कराना होगा।
4. नियुक्त डीलर को केवल “दूध धारा पशु आहार” का ही विपणन एवं सैल्स करनी होगी। डीलर द्वारा वर्तमान में उपलब्ध दूध धारा पशु आहार की निर्धारित पैकिंग ही लेनी होगी तथा उसका विक्रय करना होगा।
5. जिला स्तरीय डीलर का न्यूनतम 800 कट्टे, तहसील स्तरीय नियुक्त डीलर को न्यूनतम 400 कट्टे एवं ग्राम पंचायत स्तरीय नियुक्त डीलर को न्यूनतम 200 कट्टो का ऑर्डर एक बार में करना होगा। (50Kg का एक कट्टा होगा)
6. डीलर नियुक्ति में पशु आहार एवं इससे संबंधित उत्पादों के विक्रय का अनुभव रखने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. डीलर को दूध धारा पशुआहार की सप्लाई तभी की जायेगी जब उसके द्वारा स्तर के अनुसार न्यूनतम ऑर्डर राशि अग्रिम (Advance) जमा करवा दी गयी हो। डीलर द्वारा जमा की गयी ऑर्डर राशि के एवज में निगम द्वारा निर्धारित दर पर पशु आहार भेज दिया जायेगा।
8. डीलर द्वारा की जाने वाली दूध धारा पशु आहार की सप्लाई की मांग निगम द्वारा निर्धारित ऑर्डर प्रपत्र में देनी होगी।
9. निगम के नाम किसी भी निगम के कर्मचारी व अन्य व्यक्ति से दूध धारा पशु आहार का कोई नगद लेन-देन नहीं किया जायेगा। ऐसा पाये जाने पर तुरन्त प्रभाव से पद से हटा दिया जायेगा। निगम के साथ उपरोक्त संबंध में सभी व्यवहार ऑनलाइन भुगतान, चालान व डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से ही किये जायेंगे।
10. सभी जिलों में निगम द्वारा दूध धारा पशु आहार की आपूर्ति सीधे तौर पर की जा सकेगी जिसके लिये डीलर का कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा।
11. जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर नियुक्त डीलर के पास बाजार अथवा मण्डी में पूरे संसाधन से परिपूर्ण कार्यालय/दुकान होना आवश्यक है। साथ ही न्यूनतम 300 स्क्वायर फीट का गोदाम होना आवश्यक है।
12. निगम द्वारा अपने उत्पादित पशु आहार की मूल्य सूची डीलर को समय-समय पर दी जायेगी। नई मूल्य सूची एवं शर्तें जारी होने पर पुरानी मूल्य सूची/दरें स्वतः निरस्त समझी जायेगी। निगम द्वारा निर्धारित दूध धारा पशु आहार की दरों पर ही डीलर को पशु आहार भेजा जायेगा।
13. जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर एक से अधिक डीलर्स की नियुक्ति की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुऐ विपणन प्रबंधक, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड को उक्त नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार होगा।

14. डीलरशिप निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विपणन प्रबंधक, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड को स्वतंत्र रूप से होगा।
15. जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर नियुक्त डीलर को दिये गये लक्ष्यों को पूर्ण नहीं करने तथा अनुचित विवाद खड़ा करने पर भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड को डीलरशिप समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. निगम द्वारा एक बार दूध धारा पशु आहार भेजे जाने के बाद उसके खराब होने, गुणवत्ता खराब होने, पानी से भीगने से खराब होने, वजन कम होने की किसी भी प्रकार की समस्या एवं शिकायत, निगम को मान्य नहीं होगी।
17. निगम को डीलर की लिखित मांग के अनुसार पशु आहार की आपूर्ति करनी होगी। सप्लाई में कोई बाधा आती है और सप्लाई में बाधा के कारण लक्ष्य पूर्ति नहीं होती है तो उसका दायित्व डीलर पर नहीं होगा।
18. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।
19. डीलर द्वारा हस्ताक्षरित किया गया घोषणा पत्र निगम द्वारा लिखी गयी तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। अवधि समाप्ति उपरांत डीलर को अपनी डीलरशिप का पुनः नवीनीकरण कराया जाना आवश्यक होगा। पुनः नवीनीकरण, नियुक्त डीलर की व्यावसायिक विपणन एवं सैल्स में उपलब्धि की वस्तुस्थिति को मद्देनजर रखते हुए ही किया जाना संभव होगा।
20. डीलरशिप चाहने वाले आवेदनकर्ता को पशु आहार एवं व्यापारिक गतिविधि करने का अनुभव होना चाहिये। पशु आहार विक्रय तथा उसका व्यवसाय करने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।
21. डीलर नियुक्त होने की स्थिति में उक्त डीलर का डीलर नियुक्ति से पूर्व किसी भी आपराधिक केस में सम्मिलित होने का मामला नहीं होना चाहिये। किसी भी प्रकार का विवाद का मामला उजागर होने पर उक्त डीलर की डीलरशिप समाप्त कर दी जायेगी।
22. किसी भी स्थान पर एक से अधिक डीलर नियुक्त किये जाने की स्थिति में उनके मध्य की दूरी व कार्य क्षेत्र की किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी।
23. नियुक्त डीलर को भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के साथ 100/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र हस्ताक्षरित व नोटेरी करना अनिवार्य होगा।
24. नियुक्त डीलर द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज के बारे में यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सही हैं। इस संबंध में उल्लेख है कि डीलर द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज गलत पाये जाते हैं तो उक्त डीलर की डीलरशिप निरस्त करने का अधिकार भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड को स्वतंत्र रूप से होगा। इस हेतु कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा और ना ही कोई अग्रिम जानकारी डीलर को देना आवश्यक होगा।

25. एक डीलर केवल एक ही स्थान हेतु आवेदन कर सकता है।
26. किसी भी डीलर को अपनी डीलरशिप सबलेट करने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा।
27. यदि कोई डीलर अपनी नियुक्ति स्थान से किसी अन्य डीलर के नियुक्ति स्थान पर पशु आहार विक्रय करता है तो ऐसी स्थिति में शिकायत प्राप्त होने पर उसकी डीलरशिप निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा।
28. निगम को डीलर से अग्रिम भुगतान प्राप्त होने पर ही निगम द्वारा माल दिया जायेगा।
29. भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा डीलर के गोदाम एवं कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा। इसके अलावा डीलर के दैनिक सैल्स रिपोर्ट के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा। डीलर द्वारा साप्ताहिक सैल्स रिपोर्ट निगम कार्यालय में आवश्यक रूप से भेजनी होगी।
30. भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड डीलर की मांगानुसार दूध धारा पशु आहार दिये जाने हेतु बाध्य नहीं होगा। किसी भी कारणवश दूध धारा पशु आहार की कमी होने की स्थिति में दूध धारा पशु आहार की उपलब्धता के अनुसार ही देय होगा।
31. नियुक्त डीलर द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान लक्ष्य से कम या पूरे वर्ष या 2 माह के अन्दर दूध धारा पशु आहार का ऑर्डर नहीं दिया जाता है तो डीलर की डीलरशिप समाप्त करने का अधिकार भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड को रहेगा।

पशु आहार डीलरशिप आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करने हैं :-

- ✓ स्वसत्यापित दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका/प्रमाण पत्र की प्रति
- ✓ पहचान व पते के सत्यापन हेतु आधार कार्ड/अन्य वैध पहचान पत्र की प्रति
- ✓ आवेदन शुल्क भुगतान की ऑनलाइन रसीद/बैंक चालान की निगम प्रति/मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट (DD)
- ✓ दो अतिरिक्त कलर पासपोर्ट साईज फोटो

आवेदन पत्र भेजने का पता :-

भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड
ए सी 4, गायत्री सदन, जिला परिषद के सामने,
सवाई जयसिंह हाइवे, बनीपार्क, जयपुर, राजस्थान पिन – 302016

सामान्य जानकारी :-

- 1 निजी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भारतीय पशुपालन निगम लि० की स्थापना 2009 में की गई थी।
- 2 पशुपालन के क्षेत्र में उत्पाद बिक्री को संचालित करने हेतु प्रदेश के सभी जिलों में कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
- 3 सलंगन बैंक चालान को भरकर पद अनुसार निर्धारित चालान फार्म को शुल्क सहित नजदीकी ICICI/ UNION बैंक में जमा करावें। आवेदन पत्र के साथ बैंक द्वारा बनाये गये चालान की निगम प्रति सलंगन करे।
- 4 आवेदन संबंधी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नम्बर 0141-2202271 / 9351899199 पर सम्पर्क करें।
- 5 आवेदन शुल्क की राशि अप्रतिदेय है (वापसी देय नहीं है।)
- 6 दूध धारा पशु आहार की अलग-अलग स्तर पर डीलरशिप हेतु न्यूनतम ऑर्डर राशि :- (उत्पाद प्राप्ति हेतु जमा की जाने वाली राशि) निम्न प्रकार है।

पंचायत स्तर – 200 कट्टे☆

तहसील स्तर – 400 कट्टे☆

जिला स्तर – 800 कट्टे☆

☆ एक कट्टा 50Kg का होगा।

☆ पशु आहार की ऑर्डर राशि चालान/ऑनलाइन माध्यम/ डिमाण्ड ड्राफ्ट (DD) के द्वारा अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी।

☆ डीलर द्वारा जमा की गयी राशि के बदले निगम द्वारा निर्धारित दर पर पशु आहार भेज दिया जायेगा।

चयन का आधार :-

1. आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात कागजात एवं अनुभव के आधार पर चयनित करने एवं आगे की सूचना डाक/ई मेल आई-डी के द्वारा दी जायेगी।
2. चयनित आवेदक को चयन सूचना की मेल के साथ कार्य के संबंध में अनुबंध घोषणा पत्र भेजा जायेगा जिसे 100 रु के स्टाम्प पर नोटेरी करवाकर मय निर्धारित उत्पाद ऑर्डर राशि के साथ जमा कराना होगा।
3. 100% उत्पाद ऑर्डर राशी जमा करवाने एवं घोषणा पत्र भेजने पर आवेदक को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।
4. अंतिम रूप से चयनित डीलर का निगम द्वारा एक वर्ष के लिये निःशुल्क पाँच लाख का दुर्घटना बीमा जारी किया जायेगा। एक वर्ष पश्चात् डीलरशिप नवीनीकरण पर उपरोक्त बीमा पुनः जारी किया जायेगा।

(SIGNATURE OF APPLICANT)

आवेदक के हस्ताक्षर

GENERAL SLIP

**Bhartiya Pashu Palan Nigam Limited
Bank Copy**

Payment ID No: 723305500025
A/C No. 723305500025
Bank Name: ICICI BANK
Branch: KABIR MARG
JAIPUR
Name: POST:
Father's Name: Session: 2023-24
Date :
Payment: CASH
Bank Name: ICICI
Branch: Amount:

Denomination	Rs.	Ps.
Total		

Deposit Date:

Sign. & Seal of Bank

Sign. & Mob. No. of Candidate

GENERAL SLIP

**Bhartiya Pashu Palan Nigam Limited
Applicant Copy**

Payment ID No: 723305500025
A/C No. 723305500025
Bank Name: ICICI BANK
Branch: KABIR MARG
JAIPUR
Name: POST:
Father's Name: Session: 2023-24
Date :
Payment: CASH
Bank Name: ICICI
Branch: Amount:

Denomination	Rs.	Ps.
Total		

Deposit Date:

Sign. & Seal of Bank

Sign. & Mob. No. of Candidate

GENERAL SLIP

**Bhartiya Pashu Palan Nigam Limited
Nigam Copy**

Payment ID No: 723305500025
A/C . No. 723305500025
Bank Name: ICICI BANK
Branch: KABIR MARG
JAIPUR
Name: POST:
Father's Name: Session: 2023-24
Date :
Payment: CASH
Bank Name: ICICI
Branch: Amount:

Denomination	Rs.	Ps.
Total		

Deposit Date:

Sign. & Seal of Bank

Sign. & Mob. No. of Candidate